न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 11/2014

बउनवान

श्रीकिशन उम्र 60 साल पुत्र श्री अमरलाल जाति–माली निवासी–भगवानपुरा तहसील मॉगरोल जिला–बारां(राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1–बाबूलाल दत्तक पुत्र श्री श्रवणनाथ जाति–कालबेलिया निवासी–ग्राम रेबारपुरा (मजरा शंकरपुरा) तहसील व जिला–बारां
2– सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल
3– मुन्नालाल पुत्र सीताराम बैरवा नि. गॉधी कॉलोनी, कोटा रोड, बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 773 दिनांक 09.10.2013 ग्राम भगवानपुरा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री रमेन्द्रसिंह हाडा, अभिभाषक **(रेस्पो. क्रम–3)**

निर्णय दिनांक– 27.01.2021

1– अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 773 दिनांक 09.10.2013 वाके ग्राम भगवानपुरा से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल तस्दीक करते वक्त तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि ख0नं0 619 रकबा 0.91 है0 पर अपीलांट का लगभग 30–35 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वर्तमन में भी अपीलांट ही काबिज काश्त है। रेस्पो0 क्रम–1 का पूर्व खातेदार भूली बेवा श्रवणनाथ जाति–कालबेलिया से कोई संबंध नहीं था। भूलीबाई व उसके पति श्रवणनाथ ने ऐसा कोई दस्तावेज गोदनामा या वसीयत रेस्पोडेंट क्रम–1 के पक्ष में निष्पादित नहीं की है। दस्तावेज के अभाव में उपखण्ड अधिकारी ने रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष में मृतक खातेदार श्रवणनाथ का दत्तक पुत्र मानकर इंतकाल तस्दीक किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:19 IST
Reason: SelfAttested

2– इन्तकाल नं0 773 के कॉलम नं0 7 में भूलीबाई बेवा श्रवणनाथ कालबेलिया नि. मजरा अशोकपुरा खातेदार दर्ज है। जबकि कॉलम नं0 9 में बाबूलाल दत्तक पुत्र श्रवणनाथ जाति कालबेलिया निवासी रेबारपुरा दर्ज किया है। इन्तकाल को देखने से हीं स्पष्ट है कि

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. क्रम–1 को श्रवणनाथ का दत्तक पुत्र माना है। जबकि आराजी की खातेदार भूली बाई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वारिस प्रमाण पत्र सरपंत्र मियाडा दिनांक 13.01.2011 के अनुसार रेस्पों. क्रम–1 को गोदपुत्र वारिस माना है। जबकि ग्राम पंचायत मियाडा को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का कोई विधिक अधिकार नही है। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार मात्र जिला जज साहब, बारां को प्राप्त है। उक्त इन्तकाल गोदनामें के आधार पर तस्दीक किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस प्रकार तहसीलदार मॉगरोल को इन्तकाल तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं है। मृतक खातेदार भूली बेवा श्रवणनाथ का देहान्त हुए लगभग 30–35 वर्ष हो चुके है। उक्त आराजी ख0नं0. 619 रकबा 0.91 है0 पर अपीलांट काबिज काश्त है। चूकि रेस्पों0 क्रम–1 के पक्ष में गोदनामा व इन्तकाल तस्दीक करने के कोई आधार नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 773 दिनांक 09.10.2013 निरस्त फरमाया जावे।

3– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया।

4– जेर अपील विवादित आराजी का बेचान मन्नालाल पुत्र सीताराम बैरवा नि. बारां को होने पर, रेस्पो. क्रम–1 की ओर से अप्रार्थी क्रेता को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश होने पर, क्रेता मन्नालाल को रेकार्ड पर लेकर पक्षकार रेस्पोडेंट क्रम–3 बनाया गया। प्रकरण में रेस्पोडेंट के अभिभाषक उपस्थित आने व मूल अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी ख0नं0 619 रकबा 0.91 है0, 644/816 रकबा 0.20 है0, 645/817 रकबा 0.27 है0, 649/815 रकबा 1.05 है0 कुल 4 किता रकबा 2.43 है0 भूली बेवा श्रवणनाथ कालबेलिया नि. शंकरपुरा की खातेदारी की भूमि है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने गोदनामा के आधार पर रेस्पोडेंट क्रम–1 बाबूलाल के खाते दर्ज करने के दिनांक 09.10.20213 को आदेश पारित किये गये है। भूलीबाई व श्रवणलाल ने अपने जीवनकाल में बाबूलाल को कभी दत्तक नहीं रखा। ना हीं रजिस्टर्ड गोदपत्र या वसीयत की गयी है। भूलीबाई की मृत्यु लगभग 30–35 वर्ष पूर्व हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक गोदपत्र के कथन पर, बिना जॉच पडताल के मात्र ग्राम पंचायत मियाडा के प्रमाणपत्र के आधार पर रेस्पोडेंट क्रम–1 को गोदपुत्र मानकर मृतक के खाते दर्ज वर्णित आराजी रेस्पो. क्रम–1 के खाते दर्ज कर दी है। जबकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार जिला सेशन न्यायाधीश को है। मृतक भूलीबाई व श्रवणनाथ ने अपने जीवन काल में कोई गोदनामा नहीं लिखा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी गोदपत्र पेश नहीं हुआ है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायलय ने दिनांक 09.10.2013 को रेस्पोडेंट को गोदपुत्र मानकर वर्णित आराजी दर्ज करने के आदेश दिये है, जिसकी पालना में दिनांक 15.10.2013 को उक्त इन्तकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:19 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 773 तस्दीक हुआ है। अतः उक्त आदेश व इन्तकाल पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है।

6— विवादित आराजी पर अपीलांट विगत 30—35 वर्षो के बिना व्यवधान काबिज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व कब्जे काश्त के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं ली है, बिना जॉच पडताल के उक्त आदेश पारित किया गया है। जबकि आदेश पारित करने के पूर्व कब्जे की पूर्ण जॉच व अपीलांट को सिविल कोर्ट से उत्तराधिकारी घोषित कराना चाहिये था, तदुपरान्त हीं अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पो. क्रम—1 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज करना चाहिये था। चूकि वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल के यहॉ घोषणा का दावा जेरकार है, जिसमें अधिकार तय होगे। साथ हीं निवेदन किया कि उक्त आराजी रेस्पोंडेट क्रम—1 के फर्जी तरीके से खाते दर्ज होने पर रेस्पो. क्रम—1 बाबूलाल ने अपनी सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेंट क्रम—3 मन्नालाल पुत्र सीताराम बैरवा नि. बारां को बेचान कर दी है। जब रेस्पो. क्रम—1 के वर्णित आराजी पर अधिकार वैध नहीं है तो रेस्पों0 क्रम—1 द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बेचान पूर्णतया अवैध व कानूनी प्रावधानों के विपरीत किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय का आदेश दिनांक 09.10.2013 व इन्तकाल नं0 773 निरस्त फरमाया जावे।

7— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि भूलीबाई व श्रवणनाथ जी के कोई वारिस नहीं होने से, उन्होने अपने जीवन काल में रेस्पो0 क्रम—1 बाबूलाल जो भाई तोलानाथ का पुत्र है, गोदपुत्र रखा है। भूली व श्रवणनाथ जी की देखरेख, सेवासुश्रेषा रेस्पों. द्वारा की गयी है तथा दोनो के मरने के बाद सारे धार्मिक कार्यक्रम व रिति रिवाज बाबूलाल द्वारा हीं सम्पादित किये गये है। भूलीबाई की मृत्यु के बाद रेस्पों0 दत्तक गोदपुत्र होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोदनामा संबंधी जॉच कर, साक्ष्य सबूत लेकर, रेस्पोंडेट गोदपुत्र प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 09.102. 2013 को भूली बेवा श्रवणनाथ हीं सम्पूर्ण आराजी खाते दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है, इसी आधार पर इन्तकाल दर्ज किया गया है।

8— अपीलांट ने उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। अपीलांट को अपील पेश करने का कोई लिगल राईट नहीं है। अपीलांट ने कब्जे के आधार पर अपील दायर की गयी है। कब्जे के संबंध में अपीलांट के पास कोई दस्तावेज नहीं है उक्त इन्तकाल अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा ग्राम पंचायत मियाडा के प्रमाणपत्र, गवाहान व बयानों के आधार पर गोदपुत्र की पुष्टि होने पर तस्दीक किया गया है। आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। वर्तमान में उक्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयप[illegible]ट क्रम—3 मन्नालाल पुत्र सीताराम को बेचान होने से उसके खाते दर्ज है। अपीलांट [illegible] के आधार पर अपील पेश की गयी है। इस आधार पर अपीलांट की अपील लाने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपील इन्फ्रेक्सियस हो चुकी है। चूकि पक्षकारान् के मध्य व[illegible]न में उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल में दावा लंबित है जिसमें अधिकार तय होंगे। इसी स्थिति में इन्तकाल अपील जो समरी ट्रायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:19 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाहीं है, इसमें आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

9— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि विवादित आराजी भूली बेवा श्रवणनाथ के खातेदारी की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल द्वारा रेस्पो. कम—1 को मृतक भूली का गोदपुत्र मानकर, उक्त वर्णित आराजी रेस्पोडेंट क्रम—1 के खाते दर्ज करने के आदेश दिये है, जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी है। इस संबंध में प्रकरण में अपीलांट अभिभाषक की मुख्य दलील रहीं है कि अपीलांट गोदपुत्र नहीं है तथा उक्त आराजी पर विगत 30—35 वर्षो से उसका कब्जा काश्त है। इसके विपरीत रेस्पोडेंट अभिभाषक का कथन है कि अपीलांट के वर्णित आराजी पर कोई लिगल राईट नहीं है, ना हीं अपील लाने का कोई अधिकार है। क्योकि रेस्पो0 मृतक भूली बेवा श्रवणनाथ का दत्तक गोदपुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की विधिक पूर्ण जॉच व साक्ष्य सबूत से गोदपुत्र प्रमाणित पाये जाने पर, वर्णित आराजी खाते दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अपील खारिज फरमायी जावे।

10— इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा मृतक भूली बेवा श्रवणनाथ की ग्राम भगवानपुरा में वर्णित आराजी, रेस्पोडेंट क्रम—1 बाबूलाल की दत्तक संबंधी विधिक जॉच व साक्ष्य सबूत लेकर, रेस्पो. क्रम—1 बाबूलाल दत्तक पाये जाने पर, वर्णित आराजी खाते दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट ने उक्त अपील मात्र कब्जे के आधार पर प्रस्तुत की गयी है। कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज अपील में नहीं है। चूकि वर्तमान में उक्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रेस्पो. क्रम—3 के खाते दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील में किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा उक्त इन्तकाल पूर्ण जॉच व परीक्षण उपरान्त खोला गया है, आदेश दिनांक 09.10.2013 व इन्तकाल संख्या 773 दिनांक 15.10.2013 ग्राम भगवानपुरा में कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

11— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:19 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां